भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5558
(दिनांक 26.07.2019 को उत्तर देने के लिए)

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग

5558. श्री जी.एम. सिद्देश्वराः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर परेशान (ट्रोल) किए जाने के खतरे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार सोशल मीडिया और इसके उपयोग को विनियमित करने के लिए कोई नई नीति बनाने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (घ): सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 में मध्यस्थ के रूप में परिभाषित किया गया है और अधिनियम की धारा 79 के अनुसार मध्यस्थों द्वारा कुछ सम्यक विवेक का पालन किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थों को कंप्यूटर संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को सूचित करना आवश्यक होगा कि वे ऐसी जानकारी को प्रायोजित, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, अद्यतित अथवा साझा न करें जो हानिकारक, अपमानजनक, अश्लील, अनाधिकृत, बाल यौन शोषण से संबंधित नाबालिगों के लिए नुकसानदेह हो तथा कुछ समय के लिए लागू कानून का उल्लंघन करता हो। यदि न्यायालय के किसी आदेश अथवा उपयुक्त सरकार अथवा इसकी एजेंसी के जरिए उनकी जानकारी में लाया जाता है तो उनसे आशा की जाती है कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) से संबंधित किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी विषय-वस्तु को हटा दें।

सरकार भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित नागरिकों की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के प्रति प्रतिबद्ध है। कानून प्रवर्तन ऐजेंसियां विशिष्ट मामला-दर-मामला आधार पर सोशल मीडिया में गैर-कानूनी विषय-वस्तु पोस्ट करने पर कार्रवाई करती है।

*****